

No. RTI/551/1470/2015



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
Date: 13/07/2015
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

To,

Shri Krishan Pal Chatar Singh,
Niwasi-Gram, Karauda Mahajan,
Tehsil Budhana, Jilla/Nagar-U.P

Sir,

Please refer to your letter dated 24/06/2015 received on 10/07/2015 seeking information under the RTI Act, 2005.

2. Kindly note that the RTI Act 2005 does not envisage redressal of grievances and is basically meant to seek 'information' defined under section 2 (f) of the RTI Act, 2005, which is held by a public authority. Your application is a request for grievance redressal on a state Government subject and not an RTI application seeking information under RTI Act 2005. You may like to address your complaint to the concerned state government authority for redressal.

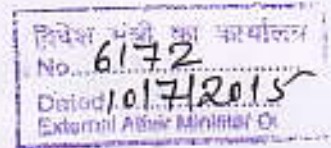
3. If you are aggrieved with this response, you may file an appeal with Shri B. Vanlalvawna, Director & Appellate authority, Room No. 4095, A-Wing, Jawaharlal Nehru Bhavan, 23-D, Janpath, New Delhi-110011. (Tel: 011-49015224, Fax: 011-49015225) within 30 days of receipt of this letter.


(Meera Sisodia)
Under Secretary(RTI)
Room No. 2019, A- Wing,
Jawaharlal Nehru Bhawan,
23-D Janpath, New Delhi-110011
Tel: 4901 5226/49015227

Issued
14/07/15

R.T.I.

सेवा में,



माननीय विधि एवं न्याय विभाग मंत्री भारत सरकार
विधि एवं न्याय में विशेष कार्यधिकारी
शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

एवं

माननीय विदेश मंत्री महोदय भारत सरकार ✓
विदेश मंत्रालय में विशेष कार्यधिकारी
साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली,

विषय:- जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र:-
महोदय जी,

आपसे विन्नम अपील है कि मैं कृष्णपाल पुत्र चतर सिंह, निवासी ग्राम करौदा महाजन, तहसील बुढाना, जिला मु0नगर उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। महोदय जी मैं उक्त पत्र के माध्यम से सुस्पष्ट व स्टीक निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूँ:-

- 1) क्या मैं निम्नलिखित शिकायतो को आपके माध्यम से यूनेस्को मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) को भेज सकता हूँ अथवा नहीं ? और यदि नहीं भेज सकता तो क्यों ? जब भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर भी मुझे विगत 17 वर्षों से मुझे आज तक इंशाफ नहीं दिला पाई तो फिर मैं विगत 17 वर्षों से अपने जीवन को दाव पर लगाकर संघर्ष कर रहा हूँ और जो इसी लड़ाई को लड़ते हुये विगत 20 वर्षों से जिला कलैक्ट्रेट परिसर मुजफ्फरनगर में धरने पर बैठकर संघर्ष कर रहे है और वे है श्रीमान मास्टर विजय सिंह जिनकी तरफ आज तक भी किसी भी जिलाधिकारी महोदय या मुख्यमंत्री महोदय तक की आज तक नजर ही नहीं गयी, आखिर क्यों न मैं इस अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) भेज दू। वे सबूत जो जिन पर आज तक कोई कार्यवाही ही नहीं की गई, सिर्फ बच्चों की तरह बहकाने का एक जरिया इससे ज्यादा कुछ ओर नहीं, नही तो ऐसा कौन सा कारण है कि मैं विगत 17 वर्षों से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत करता आ रहा हूँ, उन शिकायतो पर आज तक किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही न होना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार दलित भूमिहीन, शोषितों के सख्त खिलाफ हैं।

- 2) महोदय जी हमारे जनपद मुजफ्फरनगर व जनपद शामली में कुल मिलाकर लाखों हैक्टैयर कृषि योग्य बंजर भूमि जो भू-माफियों के कब्जे में हैं। जिसके लिये मास्टर विजय सिंह विगत 20 वर्षों से धरने पर बैठे हुये हैं। और मैं अपने स्तर से विगत 17 वर्षों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय विधि एवं न्यायमंत्री भारत सरकार, राजस्व परिषद इलाहाबाद एवं सी0बी0आई0 मुख्यालय नई दिल्ली को अनेकों बार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करा चुका हूँ लेकिन आज तक किसी भी जगह से ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं किया जिस पर ये कहा जा सकें कि वास्तव में उच्चस्तरीय अधिकारी या कोई विभाग हमारी समस्याओं का निस्तारण करने की क्षमता रखता हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब ? क्या सभी विभाग एवं उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गये हैं ? या राजनैतिक दबाव में काम करने को बाध्य हैं ?
- 3) कहने को तो हम आजाद देश में रहते हैं लेकिन इस संघर्ष ने मुझे अंग्रेजों की याद दिला दी कि जिसमें मजलूम बेसहारा लोग अंग्रेजी शासन की वहशियाना कारसतानी से अत्यन्त पीड़ित थे। ठीक उसी प्रकार से आज हम भी भ्रष्ट, कामचोर, रिश्वर खोर, लालची अधिकारियों व कर्मचारियों और भू-माफियों की मिली भगत से दलित भूमिहीन बेरोजगार अत्यन्त पीड़ित हैं।
- 4) क्या हम दलितों की इस भारत देश में व उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला ही नहीं रहा और यदि नहीं रहा है तो हम दलित कहाँ जाये ?
- 5) क्या माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश भी भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये कोई मायने क्यों नहीं रखते ? कम से कम से मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा हैं।
- 6) वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार दलितों की इतनी घोर उपेक्षा पर उतर आई है कि उसने तो गरीब, कमजोर वर्ग व एस0सी0एस0टी0 वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से कक्षा 12 तक छात्र वृत्ति भी बन्द कर दी आखिर क्यों ? क्या ये दलितों के साथ भेदभाव नहीं है ?
- 7) वर्तमान भारत सरकार ने भी अभी तक किसी भी क्षेत्र में दलितों के उत्थान के लिये कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे ये कहा जा सकें कि वर्तमान भारत सरकार दलित उत्थान के लिये संवेदनशील है, आखिर क्यों ?

8) मेरी इस संवदेनशील अपील को आप अपने स्तर से या तो यूनेस्को मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) पहुँचाने में मेरी मदद करें अथवा अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो फिर अपने स्तर से मुझे कठोरतम कार्यवाही करते हुये तत्काल प्रभाव से उच्चस्तरीय जांच कराकर इंशाफ दिलाने की कृपा करें। कृपया अपनी कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक- 21-6-2015

प्रार्थी:-
21-6-2015

8859210712
कृष्णपाल पुत्र चतर सिंह,
निवासी ग्राम करौदा महाजन,
तहसील बुढाना, जिला मु0नगर
उत्तर प्रदेश